रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2006/श्रावण 5, 1928

No. 803] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2006/SRAVANA 5, 1928

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2006

का.आ. 1190(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निम्नलिखित स्थापनाओं, जिस पर उक्त अधिनियम लागू होंगे, को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

"कम्प्यूटर के विनिर्माण, विपणन, सर्विसिंग तथा प्रयोग से जुड़े प्रतिष्ठान [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में यथापरिभाषित]/या इसके आउटपुट से प्राप्त कोई प्रकार/या इसे किसी प्रकार के प्रसंस्करण सेवाओं के लिए नियोजित करने जिसमें सॉफ्टवेयर उत्पाद कम्पनियों, इंटरनेट या ई-कॉमर्स कम्पनियां, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और रिमोट मेंटेनेंस कम्पनियां, अनुसंधान तथा विकास कम्पनियां, सिस्टम इंटीग्रेटरों, ऑन-साइट सेवा कम्पनियां तथा ऑफ-शोर सॉफ्टवेयर विकास कम्पनियां आदि शामिल हैं।"

[फा. सं. एस-35012/3/2006-एसएस-II]

गुरजोत कौर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2006

S.O. 1190(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 1 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies the following establishments employing twenty or more persons as the class of establishments to which the said Act shall apply with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

"Establishment engaged in manufacture, marketing, servicing and usage of a computer [as defined in clause (i) of Sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act (21 of 2000)]/or deriving any form of output therefrom /or employing it for any type of processing services including software product companies, Internet and E-Commerce Companies, Information Technology Services and Remote Maintenance Companies, Research and Development Companies, Systems integrators, On-site Services Companies and Off-shore Software Development Companies etc."

[F. No. S-35012/3/2006-SS-II]

GURJOT KAUR, Jt. Secy.

2290 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.